✓

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/460

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थना-पत्र	288/24	18/12/24	विनिट 8/1/25 विनिट	7/1/25 8/1/25

अनवान

श्री भवानीलाल पुत्र भूरा, धाकड़ श्री मुकेश पुत्र खेमराम

निवासी सलावटिया निवासी सलावटिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री M.R.D. श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलिया जिला भीलवाड़ा**

भवानीलाल बनाम सुरेश

किस्म मुकदमा धारा 111-128 नम्बर 288 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12/24	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जाँच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र विपक्षी/विपक्षीगणों को जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 07/01/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा	
7/1/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी-प्रतिवादी उपस्थित। श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 8/1/25 को वास्ते उ-आदेश हो। उप खण्ड अधिकारी	तामील प्राप्त
8/1/25	पत्रावली पेश हुई समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी को उजार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली में एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में निर्णय पारित किए गए एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 288/24 तारीख दायर 18/12/24

भवानीलाल पुत्र भूरा जाति धाकड़ उम्र वयरक निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.......................प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश पुत्र खेमराज जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. शम्भूलाल पुत्र माधु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. जीतमल पुत्र प्यारा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 08/01/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम बिलोनाबड़ी पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 45 पर अंकित आराजी संख्या 93 रकबा 1.8130 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.8130 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 288/24 तारीख दायर 18/12/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......288........../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

भवानीलाल पुत्र भूरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश पुत्र खेमराज जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. शम्भूलाल पुत्र माधु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. जीतमल पुत्र प्यारा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

...............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम** बिलोनाबड़ी **पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 45 पर अंकित आराजी संख्या 93 रकबा 1.8130 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.8130 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ